-133-

अंकेक्षण एवं निरीक्षण पत्र, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय सोलन (प्रातःकालीन) जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश । 4/94 to 3/97

भाग प्रथम

1. <u>गत अंकेक्षण पत्र</u> :- गत अंकेक्षण पत्रों द्वारा उठाई गई गम्भीर आपत्तियों के निपटारे हेतु कोई चिन्ता व्यक्त नहीं की गई, वर्ष 1976 से 1994 तक अनिर्णीत 184 अंकेक्षण पैरा पर गत 20 वर्षों से कोई कार्यवाई न करना अति चिन्ता का विषय तो है ही, तथा अंकेक्षण के उद्देश्य को विफल करते हुए, राशि के दुरुपयोग एवं गबन की प्रवृति को प्रोत्साहन कर रहा है, क्योंकि गत 20 वर्ष पहले जिन व्यक्तियों के विरुद्ध मामले प्रकाश में लाए गए थे वे सम्भवतः सेवानिवृत हो जाने से उनके विरुद्ध कार्यवाही करना सम्भव नहीं होगा अतः यह गम्भीर मामला सरकार के ध्यान में लाया जाता है ।

अनिर्णीत पैरों का विवरण निम्न है /=

(क) <u>अंकेक्षण पत्र वर्ष 4/76 से 3/83</u>

पैरा 3 बी	अनिर्णीत ।
पैरा (6)(6)	अनिर्णीत ।
पैरा 6(8)(9)(10)(12)(14)	अनिर्णीत ।
पैरा 6 (15)(16)(18)(20)(21)	अनिर्णीत ।
पैरा 6(21)(23)(24)(25)(26)(30)(32)	अनिर्णीत ।
पैरा 6(34)(36)(38)(39)(40)	अनिर्णीत ।
पैरा 7(ए) तथा (डी)	अनिर्णीत ।
पैरा 9(ए)(बी)(सी)(डी)(ई)	अनिर्णीत ।
पैरा 11(बी)	अनिर्णीत ।
पैरा 12	अनिर्णीत ।
पैरा 13	अनिर्णीत ।
पैरा 14(ए)(सी)	अनिर्णीत ।
पैरा 16(ए)(सी)(डी)(ई)(जी)(के)	अनिर्णीत ।
पैरा 18	अनिर्णीत ।
पैरा 20	अनिर्णीत ।
पैरा 21	अनिर्णीत ।

लगातार पृष्ठ 2 पर...

+B4 —

(ख) अंकेक्षण पत्र अवधि 4/83 से 3/85

पैरा 6 से 13	अनिर्णीत ।
पैरा 14 बी से 14 डी	अनिर्णीत ।
पैरा 14 (एच)	निर्णीत ।
पैरा 15 (ए) से 15 (एफ)	अनिर्णीत
पैरा 16 (ए) तथा (बी)	अनिर्णीत ।
पैरा 17 तथा 18	अनिर्णीत ।

(ग) अंकेक्षण पत्र अवधि 4/85 से 3/88

पैरा 3 तथा 4	अनिर्णीत ।
पैरा 5 (बी) (डी)	अनिर्णीत ।
पैरा 5 (एच)	अनिर्णीत
पैरा 5 (जे) 1 से 5	अनिर्णीत ।
पैरा 5 (के) एल, एम	अनिर्णीत ।
पैरा 5 (ओ) (पी) (क्यू)	अनिर्णीत ।
पैरा 5 (आर) 1 से 4	अनिर्णीत ।
पैरा 5 (एस) (यू) (वी)	अनिर्णीत ।
पैरा 5 (डब्लू) (वाई)	अनिर्णीत ।
पैरा 6 (बी) (सी)	अनिर्णीत ।
पैरा 7 (ए) (बी)	अनिर्णीत ।
पैरा 8 (ए) (बी)	अनिर्णीत ।
पैरा 9 (ए) 1 और 2	अनिर्णीत ।
पैरा 9 (बी) (सी) (ई)	अनिर्णीत ।
पैरा 9 (एफ)	अनिर्णीत ।
पैरा 10 (बी) (सी) (डी) (ई)	अनिर्णीत ।
पैरा 10 (एच)	केवल मद 2 व 3 समाप्त ।
पैरा 11 (ए) व (बी)	अनिर्णीत ।
पैरा 11 (सी) (डी) (ई) (जी)	अनिर्णीत ।
पैरा 12 (2) (2)	अनिर्णीत ।
पैरा 12 (2) (3)	अनिर्णीत ।
पैरा 12 (2) (5)	अनिर्णीत ।
पैरा 12 (2) (7)	अनिर्णीत ।
पैरा 12 (2) (8)	अनिर्णीत ।
पैरा 12 (2) (9)	अनिर्णीत ।

क्र.पृ0 3 पर..

पैरा 12(10)	अनिर्णीत ।
पैरा 12(बी)(2)	अनिर्णीत ।
पैरा 12(बी)(3)	अनिर्णीत ।
पैरा 12(सी)(1 व 12)	अनिर्णीत ।
पैरा 12 (डी)	अनिर्णीत ।
पैरा 13 (ए)	अनिर्णीत ।
पैरा 13(बी)	अनिर्णीत ।
पैरा 14(ए)से 14(एफ)	अनिर्णीत ।
पैरा 15(ए) व (डी)	अनिर्णीत ।

(घ) औडिट अवधि 4/88 से 3/91

पैरा 5(घ)	अनिर्णीत ।
पैरा 6(क)	अनिर्णीत ।
पैरा 6(ग),6(ई)	अनिर्णीत ।
पैरा 6(ज)	अनिर्णीत ।
पैरा 7(क)(ज)	अनिर्णीत ।
पैरा 8(क)	अनिर्णीत ।
पैरा 8(ग व घ)	अनिर्णीत ।
पैरा 8(ड)(1 से 2)	अनिर्णीत ।
पैरा 9(घ)	अनिर्णीत ।
पैरा 9 ( )	निर्णीत ।
पैरा 9(ट)	अनिर्णीत ।
पैरा 9(ठ)(2)	अनिर्णीत ।
पैरा 9(ड.)	अनिर्णीत ।
पैरा 10(क)(ग)(ख)	अनिर्णीत ।
पैरा 10(च)(ठ)(ट)(त)	अनिर्णीत ।
पैरा 10(थ)(द)	अनिर्णीत ।
पैरा 11(क),11(ग)	अनिर्णीत ।
पैरा 11(ड.)	अनिर्णीत ।
पैरा 12(क)	अनिर्णीत ।
पैरा 12(ख)(ग)(घ ड.)	अनिर्णीत ।
पैरा 12(प)(फ)(ब)(ल)	निर्णीत ।

लगातार पृष्ठ 4 पर...

पैरा 12(द)(क)	अनिर्णीत ।
पैरा 12(द)	केवल मद 3 समाप्त
पैरा 13(क) व 13(ग)	अनिर्णीत ।
पैरा 14(क)	अनिर्णीत ।
पैरा 15(क)(ग)(ग)(ii)	अनिर्णीत ।
पैरा 16(क)(ग)(ग)(घ)	अनिर्णीत ।
पैरा 16(ड.)(च)(छ)	अनिर्णीत ।
पैरा 16(ज)(1 से 3)	अनिर्णीत ।

(ड.) अंकेक्षण पत्र अवधि 4/91 से 3/94

पैरा 3	अनिर्णीत ।
पैरा 5	अनिर्णीत ।
पैरा 6	अनिर्णीत ।
पैरा 7	अनिर्णीत ।
पैरा 8	अनिर्णीत ।
पैरा 9	अनिर्णीत ।
पैरा 10	अनिर्णीत ।
पैरा 11	अनिर्णीत ।
पैरा 12	अनिर्णीत ।
पैरा 13	निर्णीत
पैरा 14	अनिर्णीत ।
पैरा 15	निर्णीत ।
पैरा 16	अनिर्णीत ।
पैरा 17	अनिर्णीत ।
पैरा 18	अनिर्णीत ।
पैरा 19	अनिर्णीत ।
पैरा 20	अनिर्णीत ।
पैरा 21	निर्णीत ।
पैरा 22	अनिर्णीत ।

भाग-दो

2. वर्तमान अंकेक्षण :- महाविद्यालय के जन निधि के लेखाओं का अंकेक्षण श्री विनोद राज गुप्ता, सहायक नियन्त्रक (लेखा परीक्षा) द्वारा दिनांक

लगातार पृष्ठ 5 पर..

3.7.97 से 24.9.97 तक किया गया मास 7/94, 3/95, 7/95, 10/95, 7/96, व 11/96 के लेखाओं की विस्तृत जांच की गई ।

3. **ऑडिट शुल्क :-** निधि लेखों की लेखा परीक्षा का ऑडिट शुल्क 2405/= रुपये बनता है, सहायक नियन्त्रक द्वारा अपने पत्र दिनांक 17.10.97 को प्राचार्य, महाविद्यालय से अनुरोध किया गया कि उक्त राशि को रेखांकित ड्राफ्ट द्वारा परीक्षक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश, शिमला-2 को तुरन्त भेजें ।

ब्यौरा निम्न है :-

1.	अमलगमैटिड फण्ड	300.00
2.	चिकित्सा फण्ड	105.00
3.	गृह परीक्षा फण्ड	105.00
4.	मैगजीन फण्ड	105.00
5.	पहचान पत्र फण्ड	105.00
6.	रेडक्रास फण्ड	105.00
7.	फिजिक्स फण्ड	105.00
8.	कैमिस्ट्री फण्ड	105.00
9.	बोटनी फण्ड	105.00
10.	जूलोजी फण्ड	105.00
11.	लाइब्रेरी फण्ड	105.00
12.	अनुपस्थित फण्ड	105.00
13.	छात्रावास चिकित्सा फण्ड	105.00
14.	आर्ट एवं कल्चर	105.00
15.	छात्रावास मैन्टेनेंस फण्ड	105.00
16.	छात्रावास बिजली फण्ड	105.00
17.	छात्रावास बर्तन फण्ड	105.00
18.	छात्र सहायता फण्ड	120.00
19.	कल्चरल ऐक्टीविटी फण्ड	105.00
	योग	2205.00

अमलगमैटिड निधि :-

अग्रिम धन राशि के गबन का सम्भावित माध्यम

परिशिष्ट "क" में अग्रिम धन का पूर्ण विवरण दिया गया है

लगातार पृष्ठ 6 पर..

 138

के अनुसार वर्षों से लिए गए अग्रिम का समायोजन नहीं किया गया है। इतने अधिक काल तक समायोजन न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा आगामी लेखा परीक्षा पर सभी अग्रिमों के समायोजन लेखे प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें ।

5. **मस्टरोल द्वारा जाली भुगतान की शंका :-**

समायोजित वाउचर संख्या 31, दिनांक 6/95 द्वारा श्री जगत राम, लिपिक द्वारा प्राप्त अग्रिम धन से सम्बन्धित मस्टरोल द्वारा भुगतान दिखाया गया जो कि निम्न कारणों से जाली प्रतीत होता है :-

(क) समायोजित वाउचर प्राचार्य द्वारा सत्यापित नहीं किए गए श्री जगत राम स्वयं इस समायोजन के सहायक थे, ने प्राचार्य की स्वीकृति एवं सत्यापन के बिना उक्त राशि का समायोजन किया । प्राचार्य की स्वीकृति प्राप्त न करना सम्भवतः भुगतान का जाली होना था ।

(ख) जैसा कि उपर विवरण किया गया है उक्त मस्टरोल द्वारा 7 व्यक्ति दिनांक 12.6.95 से 25.6.95 तक कार्यरत दिखाए गए ।

(2) कार्यरत व्यक्तियों के न तो पिता का नाम न ही उनका पुरा पता अंकित कियागया ।

(3) सातवां व्यक्ति जो मस्टरोल पर दिखायागया उसका नाम भी स्पष्ट शब्दों में अंकित नहीं था साफ प्रतीत होता है कि सातवां व्यक्ति जाली अंकित था तथा इससे 400/=रुपये का भुगतान बताया गया ताकि शेष 400/= को पुरा किया जा सके ।

इस सम्बन्ध में पूर्ण छानबीन सतर्कता विभाग से करवाकर वस्तुस्थिति स्पष्ट की जावे ।

राशि का गबन

6. (1) श्री जगत राम लिपिक द्वारा भण्डारण के 300 संख्या प्रोस्पेक्टस जो वर्ष 93-94 में 6/=रुपये प्रति प्रोसपेक्टस के विक्रय किए थे विक्रय से प्राप्त होने वाली 1800/=रुपये की राशि को निधि में जमा नहीं पाया गया अतः इस राशि का गबन प्रतीत होता है प्राचार्य, तुरन्त छानबीन करें तथा गबन की स्थिति में नियमानुसार कठोर कार्यवाही करें ।

(2) निम्न प्रोस्पेक्टस भण्डार पंजिका में शेष दिखाए गए हैं परन्तु

लगातार पृष्ठ 7 पर.

 -139-

स्थानान्तरण होने पर इन शेष प्रोस्पेक्टस को नए लिपिक को नहीं सौंपा गया ऐसा प्रतीत होता है कि वास्तव में समस्त प्रोस्पेक्टस का विक्रय कर दिया गया था परन्तु विक्रय से प्राप्त 1380/=रुपये की राशि जिसका ब्योरा निम्न है का गबन किया गया है ।

वर्ष	संख्या	राशि रुपये
95-96	110×7	770.00
96-97	61×10	610.00
	कुल	1380.00

7. शिक्षा भ्रमण की अधिक रियायत

वाउचर संख्या 66/96 द्वारा श्री सतीश वर्मा को 6500/= रुपये की राशि बतौर रियायत किराया के दी गई । शिक्षा भ्रमण बी. एस.सी. के 29 छात्रों द्वारा किन्नौर के लिए कियागया जिसका प्रमाण पत्र एवं विवरण नाम सहित वाउचर के साथ संलग्न पाया गया । किन्नौर का एक तरफ का किराया उन द्वारा 337रुपये प्रति व्यक्ति बताया गया था अगर यह मान भी लिया जावे तो देय राशि इस प्रकार थी :-

प्रतिव्यक्ति किन्नौर को आने जाने का किराया = 675 रु.

29 -"- -"- -"- -"- -"- = 675×29
19575

1/4 भाग जो महाविद्यालय द्वारा देय = 4

(1/2 भाग पर परिवहन विभाग द्वारा छूट = 4894/=

इस प्रकार (6500-4894 = 1606) 1606/= की राशि का अधिक भुगतान किया गया इस राशि को श्री सतीश वर्मा व प्राचार्य से वसूल किया जाना चाहिए ।

8. चपरासी की नियुक्ति :- श्री सोहन लाल को दैनिक भोगी चपरासी नियुक्त किया गया तथा उसकी तैनाती खेल प्राध्यापक के साथ की गई, चपरासी का वेतन अमलगामेटिड फण्ड से अदा किया जा रहा है, प्राचार्य द्वारा चपरासी की नियुक्ति अवैध थी क्योंकि:-

1) वर्ष प्रथम महाविद्यालय की निधियों से चपरासी को नियुक्त करने का कोई प्रावधान नहीं है ।

लगातार पृष्ठ 8 पर...

2) सरकारी निर्देशों के अन्तर्गत किसी भी कर्मचारी को प्राचार्य द्वारा स्वयं नियुक्त करना अनियमित था ।

3) नियुक्ति करते वक्त सरकारी निर्देशों की पूर्ण अवहेलना की गई क्योंकि न तो इस सम्बन्ध में कोई साक्षात्कार रखा गया न ही भर्ती हेतु नाम रोजगार कार्यालय से उपलब्ध किए गए । इस प्रकार नियुक्ति का करना किसी व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचा कर अन्य को इस पद पर नियुक्त होने का अवसर से वंचित किया गया ।

अतः प्राचार्य द्वारा की गई नियुक्ति अनियमित एवं अवैध थी इसलिए इस नियुक्ति को रद्द किया जावे तथा इस पर निधि से किया गया समस्त व्यय प्राचार्य से वसूल किया जावे ।

9. <u>प्राचार्य द्वारा 1000/-रुपये का स्वयं को भुगतान ।</u>

दिनांक 27.12.95 को 1000/-रुपये का भुगतान प्राचार्य को किया गया दिखाया गया है रिकार्ड में कोई वाउचर भी उपलब्ध नहीं था ताकि पता लगाया जा सके की यह राशि प्राचार्य द्वारा सेल्फ चैक द्वारा क्यों प्राप्त की थी । रोकड़ में लिखा था कि भुगतान ऋण वापिस करने को किया गया केवल यह लिखने से यह पता नहीं लग सका कि कौन सा ऋण प्राप्त किया गया था अगर कोई ऋण था तो उसे क्या रोकड़ में जमा किया था । अतः इस राशि को ब्याज सहित प्राचार्य से वसूल किया जावे ।

10. <u>खेल सामग्री का अनियमित या अत्याधिक क्रय :-</u>

खेलों की सामग्री पूर्णतया खुली बाजार दरों पर क्रय की गई सरकार द्वारा इस विषय में किए गए दर संविदाओं की अवहेलना की गई । सर्वप्रथम तो सरकार द्वारा इस विषय में निर्धारित फर्मों से क्रय किया जाना आवश्यक था, परन्तु यह पाया गया कि खुली बाजार दरों पर क्रय विशेष फर्मों से किया गया । छानबीन से पता चलता है कि अंकेक्षण अवधि में पंजाब स्पोर्टस अम्बाला कैंट से ही लगभग 80% सामग्री क्रय की गई तथा कुल 1,42,933/-रु. की राशि का भुगतान इस अवधि में किया गया ।

केवल पंजाब स्पोर्टस अम्बाला कैंट को समस्त क्रय को चुना जाना सन्देह को जन्म देता है जिसके निम्न कारण है :-

लगातार पृ0 9 पर...

-141-

1. निविदाएँ आमन्त्रित करते हुए नियमों की अवहेलना की गई क्योंकि निविदाएँ पंजीकृत पत्र द्वारा आमन्त्रित नहीं थी तथा प्राप्त निविदाएँ भी मोहर बन्द नहीं थी जिससे प्रतीत होता है कि निविदाएँ मात्र दिखावा थी ।

2. निविदाएँ स्थानीय विक्रेता या हि0 प्र0 में स्थित विक्रेताओं से आमन्त्रित नहीं की गई थी ।

3. पंजाब स्पोर्ट्स अम्बाला के साथ सदैव प्राप्त होने वाली कोटेशन जो फर्म अम्बाला में ही स्थित है से पता चलता है

11. <u>सामग्री की सन्देहजनक खपत</u>

अंकेक्षण अवधि में निम्न सामग्री शारीरिक शिक्षा प्राध्यापक द्वारा क्रय की गई जिसे भण्डार पंजिका में दर्ज पाया गया परन्तु इन द्वारा यह अंकित किया गया कि सामग्री बाँट दी गई केवल यह रिमार्क करने से सामग्री की खपत को स्वीकार नहीं किया जा सकता है । नियमानुसार प्रत्येक छात्र का नाम उसे दी जाने वाली वस्तु का विवरण, वितरण कोटी एवं प्रधानाचार्य द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए । इस प्रकार से दिखाई गई खपत सन्देहजनक है । प्रधानाचार्य समस्त सामग्री के प्रयोग का सत्यापन विवरण सहित करें अन्यथा सामग्री के क्रय पर व्यय की राशि को वसूल किया जावे ।

सामग्री का विवरण	वर्ष	कुल राशि (रुपये)
भण्डार पंजिका 89	94-95	7030.40
भण्डार पंजिका 90	3/95	7082.40
भण्डार पंजिका 90	3/96	3650.00
		4368.00
		1170.00
	कुल राशि	23,300.80

12. <u>कम वसूली :-</u> वर्ष 1995-96 में, छात्रों से केवल 18/=रुपये प्रतिछात्र मिश्रित निधि के प्राप्त किए गए जबकि प्रति छात्र से 90/=रुपये वसूल किए जाने चाहिए थे । छानबीन से पता चला कि उक्त छात्रों से 72/=रुपये प्रति छात्र से ट्यूशन फीस के अधिक लिए गए थे जिन्हें इस निधि से जमा किया गया । इस प्रकार प्रति छात्र से 72/=रुपये की कम वसूली करते हुए 615 संख्या छात्रों से 44280/= की कम वसूली

हुई थी उक्त राशि को वापिस वसूल किया जावे या सक्षम अधिकारी से नियमित करवाया जावे ।

13. **ट्रैक सूट का क्रय एवं प्रयोग :-**

वाउचर संख्या 119/94, दिनांक 25.10.94 को 15 ट्रैक सूट, पंजाब स्पोर्ट्स अम्बाला से 5460/=रुपये में क्रय किए गए, भण्डार पंजिका के पृष्ठ संख्या 254 के अवलोकन से पता चला कि पहले ही 12 ट्रैक सूट स्टाक में मौजूद थे। अतः यह स्पष्ट किया जावे कि जब पहले ही 12 ट्रैक सूट मौजूद थे तो फिर 15 अतिरिक्त क्रय करने का क्या औचित्य था क्या यह अनावश्यक एवं अत्याधिक क्रय नहीं माना जाना चाहिए । स्थिति स्पष्ट करते हुए इन 27 ट्रैक सूटों के सही प्रयोग को सत्यापित किया जावे ।

14. **जल-पान पर अत्याधिक एवं अनावश्यक व्यय**

समय-2 पर महाविद्यालय द्वारा आयोजित विभिन्न समारोहों में चाय-पान पर अत्याधिक एवं अनावश्यक व्यय किया गया है । निःसन्देह, नियमानुसार इन समारोहों पर साधारण चाय-पान का प्रावधान होते हुए प्रति व्यक्ति 3/=रुपये तय किया गया है । परन्तु प्रायः देखा गया है कि अत्याधिक व्यय को नियमित करने की नीयत से व्यक्तियों की संख्या को जानबूझ कर अधिक दिखाने का प्रयास किया गया है यथा एक समारोह में एक हजार व्यक्ति को चाय-पान का प्रावधान छात्र निधि पर अपव्यय नहीं है । इन समारोहों में प्रतिभोज पर प्रति व्यक्ति 20 से 30/=रुपये का व्यय भी देखने में आया है । जो कि सर्वथा अनुचित है अतः इस प्रकार से किया गया निम्न व्यय के लिए प्राचार्य को निजि रूप से जिम्मेदार ठहराते हुए राशि की वसूली करना अनिवार्य है :-

(i) वाउचर संख्या 18 दिनांक 5/95 राशि 7450/=रुपये

25.3.95 को आयोजित समारोह में 7450/=रुपये की राशि इस प्रकार व्यय की गई ।

बर्फी 25 किलो	1750
500 गुलाब जामुन	1250
500 समोसा	750
500 पनीर पकौड़ा	1000
800 चाय	1200
150 कोका कोला	1500
	7450.00

लगा. क्र० 11पर.

उपरोक्त सामग्री पर व्यय से पता चलता है कि 500 व्यक्तियों पर लगभग प्रति व्यक्ति 15/=रुपये व्यय किए गए, जो कि पूर्णतया अनुचित एवं मात्र निधि पर अपव्यय है क्योंकि 500 व्यक्तियों पर केवल 1500/=रुपये व्यय किए जाने चाहिए थे । अतः इस व्यय को अस्वीकार करते हुए 6000/=रुपये की अधिक व्यय की गई राशि को तुरन्त प्राचार्य से वसूल किया जावे ।

(ख) समायोजित वाउचर संख्या 132/94 दिनांक 8.3.95

श्री वी.के. कपूर को 1500/=रुपये राशि का अग्रिम धन दिया गया था जिसमें से उन्होंने 1150/=रुपये की राशि, स्टाफ एवं छात्रों द्वारा आयोजित क्रिकेट मैच पर चाय पान पर इस प्रकार व्यय किए गए :-

चाय 200×1.50 प्रति	300
चना बटूरा 60×10	600
गुलाब जामुन 100×2.50	250
	1150/-

इस प्रकार इस साधारण क्रिकेट मैच पर उपरोक्त व्यय पूर्णतया छात्र निधि का अपव्यय है केवल टीम के सदस्यों एवं कुछ अन्य आमन्त्रित व्यक्तियों को चाय पान 3/=रुपये प्रति व्यक्ति की दर से देना देय था जो कि 200/=रुपये अधिक नहीं होना चाहिए था अतः 900/=रुपये की अतिरिक्त राशि अनुचित थी जिसे प्राचार्य से वसूल किया जाना चाहिए ।

(ग) समायोजित वाउचर 9/96 दिनांक 5/96

जिसमें 5000/=रुपये की राशि चाय पान पर व्यय की गई :-

बर्फी 20 किलो	1400
पनीर पकौड़ा 600	1200
समोसा 600	1200
चाय 600	1200
	5,000.00

उपरोक्त प्राप्त सामग्री से पता चलता है कि 600 व्यक्तियों को जलपान दिया गया अगर यह मान भी लिया जावे तो भी प्रति व्यक्ति 3/=रुपये का व्यय से 1800/=रुपये की राशि व्यय की

क्र० पृ० 12 पर..

144-

जा सकती थी । अत: 3200/=रुपये का अधिक एवं अनुचित व्यय की वसूली प्राचार्य से की जावे ।

(घ) समायोजित वाउचर संख्या 128 दिनांक 12/96

जलपान पर 8550.00रुपये इस प्रकार व्यय ~~के~~ किए गए:-

1. बर्फी 10 किलो 800
   चाय 400×2.50 900
   समोसे 400× 2.50 900
   पकौड़ा 500×2 1000
   3600
2. बर्फी 15 किलो 1200
   समोसे 500×2.50 1250
   गुलाब जामुन 500×2.50 1250
   चाय 500×2.50 1250
   4950

उपरोक्त आंकड़ो से पता चलता है कि 500 व्यक्तियों को जलपान करवाया गया जिसके लिए 1500 व्यय किए जाने चाहिए थे अत: (8550-1500) = 7050/=की अपव्यय की राशि को तुरन्त प्राचार्य से वसूल किया जावे ।

(ङ) समायोजित वाउचर 129 दिनांक 12/96

पुन: निम्न राशि जलपान पर व्यय की गई :-

(1) समोसा 400×2.50 900
   पनीर पकौड़ा 400×2 800
   बर्फी 15 किलो 1200
   चाय 400×2.50 900
   3800

(2) चाय 500×2.50 1250
   बर्फी 15×80 1200
   समोसे 500×2.50 1250
   3700

कुल = 7500

लगातार पृष्ठ 13 पर...

इस प्रकार 500 व्यक्तियों पर 1500/-रुपये व्यय किए जाने चाहिए थे अतः 6000/-रुपये की अपव्यय राशि को प्राचार्य से वसूल किया जावे ।

15. **क्रय नियमों का अतिक्रमण के फलस्वरूप संदिग्ध क्रय**

[क] वाउचर संख्या 40, दिनांक 12.8.94 ,राशि 43212/-

उपरोक्त राशि हिमाचल फर्नीचर सोलन को वितरित की गई । उक्त फर्म से कमरों में गलास डोर्स लगाए गए । इस कार्य के लिए 150/-प्रति फुट के हिसाब से दरें निर्धारित की गई तथा इस कार्य पर पर 43212/-रुपये की राशि व्यय की गई थी परन्तु क्रय नियमों का अतिक्रमण करते हुए यह क्रय निम्न कारणों से अनियमित पाया गया :-

[1] मोहर बन्द कोटेशन की जगह स्वयं कोटेशन प्राप्त की गई थी ।

[2] कोटेशन को 27.7.94 को आमन्त्रित किया गया तथा प्राप्त करने की तिथि केवल 2 दिन बाद 29.7.94 रखी गई, जिससे स्पष्ट है कि कोटेशन स्वयं प्राप्त की गई ।

[3] प्रेषण पंजिका पर [डिस्पेच पंजिका] पर प्रेषण संख्या 440 ए.बी.सी. दर्ज किया गया जिससे स्पष्ट पता चलता है कि वास्तव में कोटेशनें भेजी ही नहीं गई थी ।

[4] तुरन्त 29.7.97 को सप्लाई आर्डर दे दिए गए ।

[5] क्रय करने की स्वीकृति, श्री एस0के0 भारद्वाज द्वारा जिन्होंने यह क्रय किया था दिनांक 19.8.94 को प्राचार्य से प्राप्त की थी यानी क्रय करने के उपरान्त ।

[6] प्राप्त की गई एक कोटेशन जो विश्वकर्मा फर्नीचर द्वारा भरी गई थी जिन्होंने कोटेशन पर 175/-प्रति डोर्स लिखा था से पता चलता है कि कोटेशन भरने वालों को इस सप्लाई में कोई रुचि नहीं थी केवल कोटेशन की औपचारिकता हेतु भरी गई कोटेशन पर वह 175/-प्रति फुट के स्थान पर 175/- प्रति डोर्स लिखने से गम्भीरता का अनुमान लगाया जा सकता है ।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि क्रय नियमों का उल्लंघन [illegible] [illegible] लाभ देना था जिसकी पूर्ण जान करते हुए इस [illegible] को [illegible] करते हुए जिम्मेवारी तय की जानी अनिवार्य है ।

लगातार पृष्ठ 14 पर..

(ग) वाउचर संख्या 127/95 ,राशि 1331 2/=

यह राशि विश्वकर्मा फर्नीचर सोलन को महाविद्यालय में लकड़ी का कार्य करवाने के लिए दी गई । रिकार्ड से स्पष्ट नहीं हो पाया कि किस प्रकार का कार्य किया गया तथा कहाँ पर करवाया गया । कोटेशन और सप्लाई आर्डर में भी स्पष्ट विवरण उपलब्ध नहीं था । यद्यपि 3 कोटेशन जो मात्र दिखावा थी प्राप्त की गई परन्तु न तो कोटेशन आमन्त्रित करते हुए तथा न ही फर्मों द्वारा यह स्पष्ट कि किया गया कि कौन सी लकड़ी का प्रयोग किया जाना था । इस कार्य के लिए दरें प्रति रैनिंग फुट लकड़ी के हिसाब से दी गई तो यह अनिवार्य था कि लकड़ी की चौड़ाई और मोटाई कितनी थी, उपरोक्त समस्त विवरण की अनुपस्थिति में निष्पादित कार्य की ~~गुणवत्ता~~ गुणवत्ता एवं दरें आपत्तिजनक है अतः सर्वप्रथम तो इस व्यय को स्वीकार न किया जावे तथा किए गए भुगतान की दरों की पूर्ण जाँच करवाया जाना अनिवार्य है ।

(घ) वाउचर संख्या 29, दिनांक 5/95

उक्त वाउचर द्वारा स्टील अलमीरा 2910/=रुपये की क्रय की गई तथा वाउचर पर अंकित पाया गया कि इस अलमीरा को भण्डार पंजिका के पृष्ठ संख्या 10 पर दर्ज किया गया है परन्तु उक्त पंजिका में यह दर्ज नहीं पाया गया । स्पष्ट किया जावे कि क्रय की गई सामग्री भण्डार पंजिकाओं में दर्ज न करने का क्या कारण था तथा क्या यह अलमीरा महाविद्यालय में उपलब्ध भी है या नहीं ।

(ङ) वाउचर संख्या 158/95 दिनांक 12. 12. 95

832/=रुपये की राशि वसील प्रदर्श को एक हीटर क्रय करने हेतु दी गई । न ही तो उक्त बिल प्राचार्य द्वारा भुगतान हेतु सत्यापित किया गया तथा न ही इसे भण्डार पंजिका में दर्ज पाया गया अतः उक्त भुगतान को वसूल किया जावे ।

16. सांस्कृतिक गतिविधियाँ निधि

(क) 3000/=रुपये का अग्रिम धन श्री आर.पी.ठाकुर को वाउचर संख्या 1/94 , दिनांक 13.9.94 द्वारा दिया गया। उक्त राशि से उन्होंने 7.00मीटर कोट का कपड़ा कुल 2628/=रुपये में क्रय किया तथा इस कोट को ,एस.सी.ए के प्रधान और महासचिव

लगातार पृष्ठ 115 पर..

-117-

को दिया गया बताया है । कपड़े का प्रधान और महासचिव को देना निम्न कारणों से उचित प्रतीत नहीं होता :-

1. सर्व प्रथम तो सचिव एवं प्रधान द्वारा कोट की कपड़ा प्राप्त करने की कोई रसीद रिकार्ड में उपलब्ध नहीं थी ।

2. क्या कपड़े का वितरण नियमानुसार इस निधि पर उचित प्रकार है । अगर नहीं तो इस राशि को अनुचित प्रकार मानते हुए वापिस वसूल किया जाना चाहिए ।

(ग) चाय पान पर 2095/=रुपये का व्यय

वाउचर संख्या 3/94 ,दिनांक 7.10.94 को श्री बी.के. कपूर द्वारा प्राप्त अग्रिम राशि से 2095/=रुपये की राशि निम्न पर व्यय की गई :-

समोसे 270 सं0 × 1.50दर	405
पनीर पकोड़ा 270×2दर	540
बर्फी 10कि0 ×70	700
चाय 300क0 × 1.50दर	450
कुल	2095.00

उपरोक्त मिष्ठान ,एस.डी.ए. के सदस्यों द्वारा शपथ समारोह के समय पर वितरित किया गया । इस समारोह में इतनी अत्याधिक राशि का व्यय न तो व्यवहारिक था और न ही तर्कसंगत नियमानुसार भी इस समारोह के लिए प्रतिव्यक्ति 8/=रुपये व्यय करना अनुचित था । जबकि चाय पान पर 3/=रुपये प्रति व्यक्ति व्यय करना निर्धारित थी अतः 5/=रु. प्रति व्यक्ति अधिक व्यय राशि की कुल 1350/=रुपये राशि (270×5) वसूल की जावे तथा 300/= व्यक्तियों को इस समारोह में चायपान का औचित्य स्पष्ट किया जावे ।

(2) ठीक इसी प्रकार जैसा ऊपर वर्णित है पुनः 2625/=रु. वाउचर संख्या 5/94 दिनांक 6.9.94 को चाय पानी पर इस प्रकार व्यय किए गए :-

चाय 250 दीदा	375.00
रस गुल्ला 250"	625.00
पकौड़ा 250 "	500.00
खाना 125 व्यक्ति	1125.00
	2625.00

लगातार पृष्ठ 16 पर...

148-

इस प्रकार इस सम्बन्ध में अत्यधिक व्यय उचित नहीं था। प्रति व्यक्ति 3/-रुपये व्यय के हिसाब से केवल 750/-रुपये उचित प्रभार था तथा शेष राशि (2625-750= 1875) 1875/- को वापिस वसूल किया जावे।

साईंस फण्ड

17. अधिक भुगतान :-

(क) वाउचर संख्या 7/94, दिनांक 3.6.94 द्वारा साईंस हाउस आगरा को 2130/-रु. का भुगतान किया गया। परन्तु उक्त भुगतान में 102/-रुपये का भुगतान अधिक किया गया जिसका ब्योरा निम्न है:-

वाच ग्लास 4" के लिए 23/-रु. प्रति दर्जन रेट था परन्तु इसका मूल्य 74/-रुपये प्रति दर्जन वसूल किया गया। इस प्रकार 2 दर्जन सामग्री के क्रय में 51/-रुपये प्रति दर्जन की दर से 102/-रुपये का अधिक भुगतान किया गया था, जिसे तुरन्त वसूल किया जावे।

(ख) वाउचर संख्या 22/94 दिनांक 31.10.94 को 16121/-रुपये का भुगतान ज्योति ट्रेडिंग कम्पनी सोलन को किया गया, परन्तु उक्त फर्म द्वारा निर्धारित मूल्यों से अधिक राशि वसूल की गई :-

पोटाशियम आयोडाइड का निर्धारित मूल्य 252/-प्रति 250ग्राम पैकेट था परन्तु फर्म द्वारा इसका मूल्य 288/-रुपये प्रति 250ग्राम पैकेट चार्ज किया गया, इस प्रकार 36/-रुपये प्रति पैकेट की दर से 8 पैकेटों पर 288/-रुपये अधिक वसूल किए गए। महाविद्यालय की लेखा शाखा द्वारा इन मदों पर ध्यान नहीं दिया गया है। लेखा शाखा एवं कैमिस्ट्री शाखा के सम्बन्धित कर्मचारियों द्वारा इन मदों पर उचित ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि उन भुगतानों पर जिनका अंकेक्षण नहीं किया गया है में, भी अधिक भुगतान की सम्भावनाओं से इन्कार नहीं किया जा सकता। राशि की वसूली के साथ-2 अधिक भुगतान का कारण स्पष्ट किया जावे।

18. फिजिक्स एवं कैमिस्ट्री लैब की गैस फिटिंग से संबन्धित भुगतान

फिजिक्स तथा कैमिस्ट्री की प्रयोगशाला में गैस फिटिंग स्थापित [illegible] । इस पूर्ण कार्य पर 74455/-रुपये व्यय किए गए। राशि [illegible] का भुगतान निम्न प्रकार से किया गया :- [illegible] ... था जिसकी पुष्टि, लगातार [illegible]

लगा. पृ. 18 पर..

149-

अमलगामेटड फण्ड अग्रिम धन दिनांक 1. 10. 93 25,000/=
-"- -"- -"- -"- 28. 10. 93 15,000/= 69000/=
-"- -"- -"- -"- 19. 11. 93 29,000/=

लाईसैं फण्ड वाउचर संख्या 2।
दिनांक 20. 10. 94 5455/=

{अतिरिक्त फिटिंग फिजिक्स लैब्स को}

सर्वप्रथम इस कार्य को सम्पन्न करवाने को मोहरबन्द निविदाएं आमन्त्रित की जानी चाहिए थी परन्तु प्राचार्य द्वारा दिनांक 7. 9. 93 को केवल विनीत गैस ऐजेन्सी, शिमला से कोटेशन आमन्त्रित की थी, परन्तु रिकार्ड में अन्य दो फर्मों से भी कोटेशन, प्राप्त पाई गई इस प्रकार तीन फर्मों की कोटेशन रिकार्ड में उपलब्ध है :-

{1} विनीत गैस ऐजेन्सी शिमला

{2} वैस्ट गैस सर्विस शिमला

{3} आरती गैस शिमला

जिस प्रकार से साधारण रूप से कोटेशन आमन्त्रित की गई, उससे पता चलता है कि यह पहले से ही तय था इस कार्य को विनीत गैस ऐजेन्सी से ही सम्पन्न करवाना था।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि इस कार्य को सम्पन्न करवाने में निर्धारित नियमों का खुला उल्लंघन किया था, जिससे यह कार्य स्पर्धा न होने पर सम्भवतः उच्च दरों पर निष्पादित किया गया होगा। नियमों का उल्लंघन सम्भवतः फर्म को निजि लाभ देने की भावना से किया गया प्रतीत होता है।

{2} प्रथम चरण में कैमिस्ट्री लैब का कार्य सम्पन्न किया जाना था जिसका बिल सम्बन्धित फर्म द्वारा दिनांक 19.9.93 को जारी किया गया जो कि 70706/=रुपये का था। इस बिल के लिए भुगतान किश्तों में इस प्रकार अमलगामेटिड निधि से किया गया।

दिनांक 1. 10. 93	25,000. 00
दिनांक 28. 10. 93	15,000. 00
दिनांक 19. 11. 93	29,000. 00
	69,000. 00

इस प्रकार उक्त समस्त भुगतान 11/93 तक किया जा चुका था परि. फर्म द्वारा यह कार्य पूर्ण नहीं किया गया था जिसकी पुष्टि,

क्रमा. पृ. 18 पर..

स्थानान्तरण के उपरान्त नए प्रार्थी के पत्र के.न-1/94,460, दिनांक 30.7.94 को एरिया मैनेजर इन्डियन आयल कार्पोरेशन रामरहित दिर कार्ट रोड-शिमला-1 को लिखे पत्र द्वारा की जा सकती है उक्त पत्र में प्रार्थी द्वारा फर्म की शिकायत की गई थी, की उक्त फर्म द्वारा कार्य पूर्ण नहीं किया गया ।

अतः यह स्पष्ट किया जावे कि जब यह कार्य फर्म द्वारा 7/94 तक पूर्ण नहीं किया गया तो आठ मास पहले लगभग पूर्ण भुगतान करने का क्या उद्देश्य था । क्या इससे यह स्पष्ट नहीं होता है कि इस फर्म को अनावश्यक रूप से निजि लाभ पहुंचाया गया था । अन्यथा कार्य सम्पन्न होने से पहले भुगतान का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(3) भुगतान वाउचर पर कैमिस्ट्री विभाग के प्रभारी द्वारा सत्यापन किया जाना चाहिए था कि वास्तव में बिल में वर्णित कार्य शर्तों के अनुसार निष्पादित किए भी गए थे या नहीं परन्तु इस बिल का सत्यापन नहीं किया गया था तथा आहरण अधिकारी द्वारा स्वयं इस बिल का सत्यापन करवाया गया जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि भुगतान करने में कितनी जल्दी थी ।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि यह कार्य, नियमों को ताक पर रख कर निष्पादित करते हुए इस भुगतान में निजि रुचि रखते हेतु किया गया । मामले की छानबीन की जावे कि यह कार्य वास्तविक बाजार दरों पर किया गया था या अधिक ।

19. __गबन की सम्भावना :-__ वाउचर संख्या 4 दिनांक 5.7.95 द्वारा रोकड़ में 1000/-रुपये का भुगतान बतौर अग्रिम धन श्री एम.एम.शील को दिया गया गया परन्तु लेखा लिपिक द्वारा इस राशि को अग्रिम धन पंजिका में दर्ज नहीं किया गया फलस्वरूप यह राशि का न तो समायोजन हो सका न ही राशि वसूल की गई । क्या लेखा लिपिक द्वारा, इस अग्रिम धन को जानबूझकर पंजिका में दर्ज नहीं किया गया था । लिपिक की लापरवाही से यह राशि कभी भी प्रकाश में न आती इस प्रकार इस राशि को कभी भी वसूल न किया जाता ।

इस राशि को श्री एम.एम.शील से ब्याज सहित वसूल करते हुए उनसे अग्रिम धन का समय पर हिसाब न लेने का कारण स्पष्ट करते हुए लिपिक द्वारा अग्रिम धन को अग्रिम पंजिका में दर्ज न करने की

क्र.पृ. 19 पर...

-157-

नीयत का स्पष्टीकरण माँगा जावे ।

20. चिकित्सा निधि :- श्री जगत राम लिपिक द्वारा निम्न मूल्यों की दवाईयाँ क्रय की गई थी । भण्डार पंजिका में यह दवाईयाँ अंकित थी परन्तु समस्त दवाईयाँ खर्च होने पर श्री जगतराम द्वारा स्थानान्तरण होने पर नए इन्चार्ज को नहीं दी गई थी । अतः इस राशि को तुरन्त श्री जगतराम से वसूल किया जावे ।

दिनांक	राशि (रुपये)
8/94	200.00
9/94	247.50
8/95	231.50
10/95	248.00
कुल	927.00

(2) श्रीमती घोटेला द्वारा निम्न राशि विकासूल दवाईयाँ के क्रय पर व्यय किए थे परन्तु विकासूल का क्रय उचित प्रकार न होने से इस राशि को उनसे वसूल किया जावे :-

वाउचर संख्या व तिथि	राशि (रुपये)
संख्या 4, 11/95	45.00
2/96	57.60
कुल	102.60

(3) श्री मनोज ठाकुर को बतौर कम्पाउन्डर नियुक्त किया गया जिसके लिए उन्हें 300/-रुपये प्रति माह की दर से वाउचर संख्या 6, दिनांक 10/94 को अवधि 18.8.94 से 1.10.94 के लिए 450/-रुपये दिए गए । रिकार्ड की छानबीन से पता चलता है कि इस अवधि में छात्रों के लिए महाविद्यालय द्वारा कोई औषधि जारी नहीं की गई थी न ही रिकार्ड से पता चलता है कि किसी प्रकार से औषधालय कार्यरत था । और नियुक्ति के साथ-2 श्री ठाकुर द्वारा इस अवधि में बतौर कम्पाउन्डर कार्यरत होना संदिग्ध था । अतः मामले की छानबीन की जावे तथा वस्तुतः स्थिति से इस विभाग को अवगत करें ।

21. छात्रों सहायता निधि

इस निधि का आय व्यय का ब्यौरा निम्न है :-

लगातार पृष्ठ 20 पर...

132

प्रा० शेष वर्ष 3/94	26862
आय	5765
व्यय	1800
वर्ष 95-96 आय	5684
व्यय	1800
अन्तिम शेष	35137
वर्ष 96-97 आय	8564
व्यय	शून्य
अन्तिम शेष	43695/=

उपरोक्त आंकड़ों से पता चलता है कि इस निधि को आरम्भ करने का ध्येय पूर्णतया विफल रहा है । क्योंकि वर्ष 94-95 तथा 95-96 में केवल 3600/=रू व्यय किए गए और वर्ष 96-97 में कुछ भी व्यय नहीं किया गया । [illegible] मुख्य [illegible] विद्यार्थियों को इस सहायता के बारे में अवगत न कराया था । अतः इस निधि के बारे में प्रचार किया जावे ताकि उचित पात्र लाभान्वित हो सके ।

(2) इस निधि के लिए प्रति छात्र 3/=रूपये प्रति वर्ष वसूल किए गए जबकि निदेशक द्वारा जारी निर्देशों द्वारा केवल 2/=रूपये प्रति छात्र प्रतिवर्ष वसूल किए जाने चाहिए थे अधिक वसूली को स्पष्ट करें तथा भविष्य में केवल 2/=रूपये प्रति छात्र वसूल किए जावें ।

22. छात्र परीक्षा निधि :-

(1) 1.00/=रू. का अधिक भुगतान

वाउचर संख्या 2/96 दिनांक 24.5.96 को उत्तर पुस्तिका की छपाई के लिए नेशनल प्रिंटिंग प्रेस सोजत को 8008/=रू. का भुगतान किया गया, इस कार्य के लिए 3 फर्मों की कोटेशन इस प्रकार थी :-

1. नेशनल प्रिंटिंग प्रेस 7000 -
2. [illegible] 7100 ,3000 प्रतियाँ
3. [illegible] 7050, 300 प्रतियाँ

प्राचार्य द्वारा जारी नोटिस द्वारा उपरोक्त फर्मों से 3000 प्रतियों की छपाई के रेट मांगे थे परन्तु नेशनल प्रिंटिंग प्रेस द्वारा [illegible] कोटेशन में रेट के साथ [illegible] नहीं किया गया जिसका सीधा मतलब था कि उसकी रेट 3000 प्रतियों के लिए ही था ।

लगातार पृष्ठ 21 पर..

-153-

परन्तु भुगतान इस प्रकार किया गया ।

	रुपये
भुगतान 3300 प्रतियों के लिए	7700.00
विक्रय शुल्क	308.00
कुल भुगतान	8008.00

(2) कोटेशन में विक्रय टैक्स का कोई हवाला न था इसलिए टैक्स का अतिरिक्त देना अनुचित था ।

अतः 3300 प्रतियों की छपाई के लिए केवल 7000/= रुपये का भुगतान देय था परन्तु उक्त फर्म को 8008/=रुपये देकर ~~अति~~ अतिरिक्त लाभ पहुँचाया गया ।

इस राशि को तुरन्त प्राचार्य से वसूल किया जावे तथा अतिरिक्त लाभ पहुँचाने के ~~इस~~ प्रयास के लिए उचित कार्यवाही की जावे ।

(3) __1630/=रुपये की कम वसूली :-__ वर्ष 94-95 में जमा दो (+2) के छात्रों से 20/=रु. प्रति छात्र वसूल किए जाने चाहिए थे परन्तु केवल 10/=रु. प्रति छात्र वसूल किए गए । इस प्रकार 163 संख्या छात्रों से 1630/=रुपये की कम वसूली की जिम्मेदारी तय की जावे ।

(ग) __अवैध एवं अनुचित भुगतान :-__

वाउचर सं. T 9, दिनांक 10/94 को, 3200/=रु. की राशि का भुगतान, कालेज के अध्यापकों को, (+1) की परीक्षा सम्बन्धित परीक्षा पत्रों की जाँच हेतु किया गया ।

उपरोक्त राशि का भुगतान अवैध एवं अनुचित था क्योंकि (+1) की परीक्षा, कालेज की अन्तरिम परीक्षा थी तथा इन परीक्षाओं से सम्बन्धित जाँच इत्यादि का कार्य, अध्यापकों की सामान्य कार्य-प्रणाली में आता है । प्राचार्य द्वारा इस सम्बन्ध में भुगतान किया जाना अति आश्चर्यजनक है तथा प्रतीत होता है कि समस्त नियमों के ताक पर रखकर का निधियों का दुरुपयोग एक आम बात है । इस प्रकार के व्यवहार एवं अनावश्यक लाभ पहुँचाने के इस प्रयत्न को गम्भीरता से लिया जाना आवश्यक होगा अन्यथा सार्वजनिक राशि के दुरुपयोग पर रोक लगाना सम्भव नहीं होगा ।

लगातार पृष्ठ 22 पर..

153 —

(घ) अधिक भुगतान :- समायोजित वाउचर सं0 5/95

श्री भारद्वाज द्वारा अग्रिम धन में से 141/-रू. का भुगतान 113 संख्या फोटो कापी तैयार करने को किया गया । इस बिल में प्रति कापी फोटो की दर 1.25 रू. ली गई थी जबकि इसी अवधि में पाए जाने वाले अन्य फोटो कापियाँ 0.50रूपये प्रति कापी की दर से तैयार की गई थी । श्री भारद्वाज द्वारा प्रति फोटो कापी पर 0.75 रू. अधिक भुगतान करने का कारण स्पष्ट करते हुए इस पर किया गया 87.50रू. का अधिक भुगतान तुरन्त वसूल किया जावे ।

23. यातायात निधि

(क) खेल सामग्री का अनुचित क्रय निम्न राशि खेलों का सामान क्रय करने पर व्यय की गई :-

वाउचर संख्या	राशि(रूपये)
42/95	523.80
36/96	3877.63
कुल	4401.43

(1) इस निधि से खेलों के सामान का क्रय उचित प्रकार नहीं है । खेलों की सामग्री प्रतिवर्ष भारी मात्रा में शारीरिक शिक्षा प्राध्यापक द्वारा की जाती है तो इसे छात्र निधि से अलग क्रय क्यों किया गया ।

(2) दूसरे, इस सामग्री को यातायात के प्रोक्टर को जारी किया गया दिखाया है जबकि न तो उसके हस्ताक्षर उपलब्ध है न ही प्रयोग किए गए सामान की वापसी ।

अतः उपरोक्त क्रय अनुचित है तथा व्यय सन्देहजनक प्रतीत होता है ।

(ख) बिजली के उपकरणों का दुरूपयोग

निम्न राशि बिजली के उपकरणों के क्रय हेतु व्यय की गई:

लगातार पृष्ठ 23 पर...

1352

वाउचर संख्या	दिनांक	राशि(रु.)	विवरण
15	27.9.94	6027.00	कारागार की फिटिंग
41	29.12.94	13293.00	—"—
51	21.3.95	1496.00	ट्यूबों का क्रय
22	10/94	231.00	—"—
29	11/94	160.00	—"—
14	10/95	3565.00	—"—
34	3/96	4730.00	—"—
22	11/96	306.00	—"—
31	12/96	4964.00	—"—
34	1/97	300.00	—"—
45	3/97	810.00	—"—

उपरोक्त क्रय किए गए उपकरणों का उपयोग कारागार में बिजली फिटिंग एवं समय समय पर ट्यूबें एवं बल्ब इत्यादि को बदला जाना दिखाया गया है । परन्तु इस बात का विवरण उपलब्ध नहीं था कि कब किस कमरे में यह उपकरण बदले गए, न ही इन उपकरणों को बदलने हेतु किसी की माँग उपलब्ध थी न ही किसी के नाम पर यह उपकरण जारी किए गए थे । केवल पंजिका में यह लिख देना कि समस्त उपकरण प्रयोग किए गए वास्तविकता को छुपाने का प्रयत्न प्रतीत होता है । इतनी अत्यधिक मात्रा में उपकरणों का प्रयोग उचित प्रतीत नहीं होता ।

नियमानुसार उपयोग को सिद्ध न करना अनुचित था इस प्रकार [illegible] के उपयोग को स्वीकार नहीं किया जा सकता । अतः [illegible] राशि की [illegible] किया जावे ।

[illegible] कारागार [illegible] में विद्युत का उपयोग

लेखा अवधि में कारागार में निम्न प्रकार से बिजली के बिलों का भुगतान [illegible] ।

~~[illegible]~~ लगातार पृष्ठ 24 पर..

वाउचर संख्या	दिनांक	राशि रु.		वर्ष में व्यय
54	5/94	1380		4414.00
32	11/94	1500	94-95	
44	1/95	728		
50	3/95	806		
57	5/95	7399		
70	7/95	4212	95-96	22909.00
13	9/95	3020		
29	3/96	8278		
46	5/96	4198		
1	7/96	3800	96-97	27998.00
29	12/96	10000		
48	3/97	10000		

उपरोक्त आकड़ों से सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि जब वर्ष 94-95 में केवल 4414/=रुपये का विद्युत का प्रयोग किया गया तो अकस्मात वर्ष 95-96 में लगभग 5 गुणा क्यों हो गई । ऐसा प्रतीत होता है कि विद्युत के व्यय पर किसी भी प्रकार का नियन्त्रण नहीं है । प्रधानाचार्य का इस विषय पर ध्यान न देना सार्वजनिक धन के अपव्यय का एक ज्वलंत उदाहरण है ।

अतः इस विषय पर गम्भीरता की आवश्यकता है तथा उन कारणों का पता लगाया जावे कि किन कारणों से विद्युत का दुरुपयोग हो रहा है । [illegible] अधिकारी से इसका पूर्ण स्पष्टीकरण मांगते हुए जिम्मेदारी तय की जावे ।

[illegible] [illegible] मैं दूरभाष का दुरुपयोग

वाउचर संख्या	अतिरिक्त कालों की राशि
[illegible]/96	342
37/9[illegible]	180
46/96	84
	कुल 606/=

[illegible] [illegible] वाउचर संख्या 6/95

[illegible] ने 1500/=रुपये की अग्रिम राशि ली गई [illegible] 382.5[illegible] रुपये [illegible] के लिए व्यय दिखाये

157

हैं परन्तु इन बर्तनों को स्टाक पंजिका में दर्ज नहीं किया गया था, न ही यह बर्तन नए छात्रावास अधीक्षक को चार्ज में सौंपे गए थे। ऐसा लगता है कि इस सामग्री का दुरुपयोग किया गया है। अतः राशि के वसूली के साथ-2 बर्तनों के ~~दुरुपयोग~~ दुरुपयोग के लिए उचित कार्यवाही की जावे।

छात्रावास निधि

(घ) स्टाक एवं स्टोर :- भण्डार पंजिकाओं की स्थिति चिन्ताजनक है। भण्डार वस्तुओं के इन्दराज स्पष्ट नहीं किए गए हैं जिससे यह पता ~~लगाना~~ लगाना असम्भव था कि कौन सी वस्तु कितनी संख्या में भण्डार में शेष थी। उदाहरण के तौर पर बहुत बड़ी मात्रा में कीमती बर्तन भण्डार में थे परन्तु बर्तनों की पूर्ण मात्रा का उल्लेख नहीं था। बर्तनों के वजन भी पंजिकाओं में दिखाए नहीं था जिससे बर्तनों के दुरुपयोग एवं गायब होने की शंका है। भण्डार सामग्री का अभी भी निरीक्षण एवं सत्यापन नहीं किया गया। वर्ष 1994 के उपरान्त क्रय सामग्री को अलग पंजिका में दर्ज किया गया जबकि इसे पुरानी पंजिका में दर्ज किया गया। जबकि इसे पुरानी पंजिका में दर्ज किया जाना था। इस स्थिति को स्पष्ट करते हुए, छात्रावास अधीक्षक ने सूचित किया कि गत अधीक्षक द्वारा न तो उन्हें स्टाक दिया गया न पंजिका को कि सूचित था।

अतः इस मामले की गम्भीरता को देखते हुए महाविद्यालय के प्राचार्य निजि ध्यान दें तथा समस्त सामग्री को पंजिका में स्पष्ट करते हुए सत्यापित करें कि समस्त सामग्री भण्डार में उपलब्ध है या नहीं

24. निष्कर्ष :- लेखों की स्थिति चिन्ताजनक है। राशि के अपव्यय पर नियंत्रण करते हुए लेखा परीक्षा आपत्तियों पर कड़ी कार्यवाही किया जाना अनिवार्य है।

हस्ता/-
संयुक्त निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171002.

लगातार पृष्ठ 26 पर...

158

पृष्ठांकन संख्या: फिन(एल.ए.)(लो) 15(1)(12)33/78, दिनांक, शिमला-171002.

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है : 15 JUL 1999

पंजीकृत: 1) प्रधानाचार्य, राजकीय महाविद्यालय सोलन जिला सोलन (हिमाचल प्रदेश) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही का सटिप्पण उत्तर इस विभाग को अतिशीघ्र भेजें ।

2) निदेशक, शिक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला-171001.

3) जिला शिक्षा अधिकारी सोलन जिला सोलन (हिमाचल प्रदेश) ।

4) श्री विनोद राज गुप्ता, सहायक नियन्त्रक(लेखा परीक्षा), द्वारा.....

संयुक्त निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171002.

परिशिष्ट "क"

अग्रिम धन

वर्ष 1976 से वर्ष 1994 तक असमायोजित अग्रिम धन

नाम	वा0 सं0 एवं दिनांक	राशि(रुपये)
श्री श्याम लाल	4 दिनांक 8/76	1000.00
---"---	69 दिनांक 10/76	170.00
---"---	73 दिनांक 10/76	575.00
नरेन्द्र सिंह	72 दिनांक 10/76	100.00
वीर सिंह चौहान	16 दिनांक 9/84	450.00
राजेन्द्र शर्मा	70/88	100.00
आई. डी. शर्मा	76/88	127.00
मदन गोपाल	52 दिनांक 2/89	75.00
मदन गोपाल	58 दिनांक 2/89	75.00
आर. के. कालिया	45 दिनांक 9/89	500.00
आर. के. कालिया	31 दिनांक 8/90	0500.00
आर. के. कालिया	63 दिनांक 1/91	1500.00
अमर नाथ	19 दिनांक 7/90	080.00
[illegible]	27 दिनांक 8/90	280.00
[illegible]	13 दिनांक 11/90	100.00
डी. वर्मा	129 दिनांक 10/88	600.00
डी. वर्मा	99 दिनांक 10/88	1800.00
वीर सिंह चौहान	15 दिनांक 7/88	1800.00
वीर सिंह चौहान	1 दिनांक 8/89	55.00
[illegible]	137 दिनांक 6/85	500.00
[illegible]	30 दिनांक 4/85	80.00
[illegible]	45 दिनांक 5/85	286.00
[illegible]	46 दिनांक 5/85	60.00
[illegible]	54 दिनांक 5/85	24.00
[illegible]	135 दिनांक 6/85	215.00
[illegible]	-- दिनांक 5/85	60.00

[illegible] पृ0 2 पर...

16

ध्यान सिंह	11 दिनांक 9/85	530.00
श्रीमति महाजन	19 दिनांक 9/85	779.00
डी.डी. शर्मा	52 दिनांक 10/85	2585.00
जगत राम	82 दिनांक 12/85	1000.00
जगत राम	89 दिनांक 12/85	300.00
एच. के. भारद्वाज	121 दिनांक 2/86	50.00
ए. एन. [illegible]	1[illegible] दिनांक 2/86	60.00
कुमार चन्द	17 दिनांक [illegible]/86	60.00
के. के. [illegible]	122 दिनांक 3/86	700.0.
एच. के. भारद्वाज	131 दिनांक 3/86	1200.00
के. के. धरोला	5 दिनांक 4/87	350.00
एच. के. भारद्वाज	130 दिनांक 1/88	98.00
एस. के. गुप्ता	5 दिनांक 1/88	600.00
पी. के. ठाकुर	2 दिनांक [illegible]/93	200.00
आर. के. पठानिया	1 दिनांक 9/94	300.00
के. आर. धरोला	3 दिनांक 2/95	500.00
एच. के. भारद्वाज	2 दिनांक 10/95	100.00
--"--	3 दिनांक 12/95	5000.00
जगत राम	12 दिनांक 11/93	1500.00
जगत राम	11 दिनांक 11/93	500.00
अनुपम भाटा	79 दिनांक 11/96	16000.00
--"--	76 दिनांक 10/96	2000.00
[illegible] राम	6 दिनांक 3/96	500.00

-- --